>

Title: The Speaker made references to the passing away of Dr. R.K.G. Rajulu, member of the Tenth Lok Sabha; Shri Ramnath Dubey, member of the Seventh Lok Sabha; Dr. Banshilal Mahto, member of the Sixteenth Lok Sabha; and Shri Kailash Joshi, member of the Fourteenth and Fifteenth Lok Sabhas.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे चार पूर्व सदस्यों, डॉ. आर.के.जी. राजुलु, श्री रामनाथ दुबे, डॉ. बंशीलाल महतो तथा श्री कैलाश जोशी के दुखद निधन के संबंध में सूचित करना है ।

डॉ. आर.के.जी. राजुलु दसवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने तमिलनाडु के शिवकासी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया ।

उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के उत्थान के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया । डॉ. आर.के.जी. राजुलु का निधन 20 अक्टूबर, 2019 को 60 वर्ष की आयु में हुआ ।

श्री रामनाथ दुबे सातवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के बांदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया ।

वे पेशे से एक कृषक तथा वकील थे जिन्होंने सामाजिक सेवा में सक्रिय रूप से भाग लिया ।

श्री रामनाथ दुबे का निधन 25 अक्टूबर, 2019 को 86 वर्ष की आयु में हुआ ।

डॉ. बंशीलाल महतो सोलहवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने छत्तीसगढ़ के कोरबा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया ।

वे एक चिकित्सा व्यवसायी थे जिन्होंने काफी लोगों के उत्थान के लिए काम किया ।

डॉ. बंशीलाल महतो का निधन 23 नवम्बर, 2019 को 79 वर्ष की आयु में हुआ ।

श्री कैलाश जोशी चौदहवीं तथा पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्य थे । उन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया । वे राज्य सभा के सदस्य भी रहे ।

श्री कैलाश जोशी मध्य प्रदेश विधान सभा में आठ बार विधायक रहे । वे 1977 से 1978 तक मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे और मध्य प्रदेश सरकार में वाणिज्य तथा उद्योग एवं विद्युत मंत्री भी रहे । वे 1962 से 1998 तक मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे ।

श्री कैलाश जोशी 1972 से 1977 तक तथा 1985 से 1990 तक मध्य प्रदेश विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे ।

श्री कैलाश जोशी जी का निधन 24 नवम्बर, 2019 को 90 वर्ष की आयु में हुआ ।

हम अपने पूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं । यह सभा शोक-संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करती है ।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी ।

11.04 hrs

(The Members then stood in silence for a short while.)

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप एक मिनट मेरी बात सुन लें, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, मैं जब निधन संबंधी उल्लेख करूं तो माननीय सदस्य उस समय आपस में बातचीत न करें । यह मेरा आपसे व्यक्तिगत रूप से आग्रह है ।

…(व्यवधान)

11.05 hrs

SUBMISSION BY MEMBER

Re :Alleged derogatory remarks on the Father of the Nation, Mahatama Gandhi.

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की मर्यादा की बात कर रहा हूं । हाउस के अंदर कांग्रेस पार्टी को कहा जाता है कि ... * पार्टी है, यह हाउस के अंदर क्या हो रहा है । …(व्यवधान) जिस पार्टी के हजारों नेताओं ने हिन्दुस्तान की आजादी के लिए बलिदान किया है, उस कांग्रेस पार्टी को कोई ... * कह लेता है । …(व्यवधान) सदन क्या चुप रहेगा? इस सदन के अंदर महात्मा गांधी जी, जो राष्ट्र पिता हैं, राष्ट्र पिता के हत्यारे को ... * कहते हैं, उसको ... * कहलाते हैं । सदन क्या चुप रहेगा? सरकार क्या चुप रहेगी, … (व्यवधान) सरकार को खुल कर कहना चाहिएं, यह ... * पंथी है, यह गांधी पंथी है । आप इंदिरा गांधी को हड़पना चाहते हैं, जवाहर लाल नेहरू को हड़पना चाहते हैं । अभी महात्मा गांधी को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं । सारी दुनिया इनकी निंदा करती है, सारा हिन्दुस्तान इसकी निंदा करती है । सरकार को इस पर बयान देना चाहिए ।…(व्यवधान) सरकार को खुले दिल से कहना चाहिए कि यह ... * है या गांधीपंथी है ।

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन जी, आपका गला फट जाएगा । मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूं ।

…(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY : Hon. Speaker Sir, ... * has been called a patriot by Pragya Thakur. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूं, माननीय सदस्यगण, आप सभी इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, अति वरिष्ठ सदस्य हैं । आप अगर सदन के रिकार्ड को देखते जो माननीय सांसद ने बोला, उसे रिकार्ड से हटा दिया गया है और वह रिकार्ड में भी नहीं है ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न 141

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: रक्षा मंत्री जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं । आप बैठ जाइए, रक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं ।

…(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): अध्यक्ष महोदय, हमको बोलने दें ।

माननीय अध्यक्ष: क्यों बोलने दें? इस पर डिबेट थोड़े हो रही है । इस हाउस के रिकार्ड में होगा तो डिबेट होगी । जब कोई चीज रिकार्ड में नहीं है तो कैसे डिबेट हो सकती है । माननीय रक्षा मंत्री जी, अगर ये बैठते हैं तो आप बोलिए नहीं तो इनको बोलने दो ।

…(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी : अध्यक्ष महोदय, ... * कहा जा रहा है ।

माननीय अध्यक्ष: अगर कोई चीज रिकार्ड में हो तब सदन में बात कर सकते हो । आप जो बाहर बोलते हो वह सदन में डिबेट होने लग जाएगी तो कर लेना चर्चा । यह गलत है ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने व्यवस्था दे दी है और इसे रिकार्ड से हटा दिया गया है ।

…(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Every time, this Member is disrespecting Mahatma Gandhi.

माननीय अध्यक्ष: रिकार्ड में गया ही नहीं तो हटाने का क्या सवाल है? माननीय रक्षा मंत्री जी जब ये चुप होंगे तब आप बोल लेना । आप बैठ जाइए । सदन के उप नेता बोल रहे हैं । सुरेश जी आप सीनियर मेंबर हैं ।

…(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: अध्यक्ष महोदय, हमको भी बोलने दीजिए । … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं इस विषय पर किसी को भी नहीं बोलने दूंगा, जब कोई विषय सदन के रिकार्ड में लिया ही नहीं गया तो उस पर चर्चा करने का सवाल ही नहीं है । अगर रक्षा मंत्री जी कोई बात कहना चाहते हैं तो कहें ।

…(<u>व्यवधान</u>)

रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहे जाने की बात तो दूर, मैं समझता हूं **कि** देशभक्त मानने की यदि किसी की सोच है, तो इस सोच को ही हमारी पार्टी पूरी तरह से कन्डेम करती है ।…(व्यवधान)

जहां तक महात्मा गांधी जी का प्रश्न है, महात्मा गांधी हम लोगों के लिए आदर्श हैं । वह पहले भी हमारे मार्गदर्शक थे और भविष्य में भी हमारे मार्गदर्शक रहेंगे । उनकी विचारधारा उस समय भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है और मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में महात्मा गांधी जी की विचारधारा पूरी तरह से प्रासंगिक रहेगी । …(व्यवधान)

उनके प्रति, चाहे कोई किसी भी दल का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी मज़हब का हो, महात्मा गांधी जी को सभी अपना आदर्श मानते हैं और उन्हें प्रेरणा स्रोत मानते हैं ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न 141

श्री भर्तृहरि महताब ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप अपनी सीट पर जाएं ।

...(व्यवधान)

11.11 hrs

(At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Shri Kalanidhi Maran, Shri Shriniwas Dadasaheb Patil, Prof. Saugata Roy, Shri Asaduddin Owaisi and some other hon. Members left the House.)

11.12 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न 141 ।

(Q. 141)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Hon. Speaker, when I had come to this House, I had come with an idea of congratulating you for the technical support which Lok Sabha TV is providing to all Members. … (*Interruptions*) Since last two days, the video recording of our deliberations in this House are being sent directly to us, which is very

praiseworthy. It is your initiative which has made it possible. … (*Interruptions*) I would thank you first of all for taking this particular initiative.

My first supplementary question is this. It is a well-known fact that air traffic has expanded exponentially but the air traffic infrastructure and safety measures have not kept pace with such increase in air traffic. In fact, scant attention has been paid to this issue over a period of time. I would like to know from the hon. Minister whether the Government is going to add any value to airport operations whose main problem lay in poor airside infrastructure and air traffic management.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय अध्यक्ष जी, पिछले पांच वर्षों में माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार ने, देश में आम नागरिक उड़ सकें, इस दृष्टिकोण से जो सुविधाएं प्रदान की हैं और पिछले पांच वर्षों में बदली हुई परिस्थितियों में हवाई सुविधाओं का जैसे विस्तार हुआ है, उस विस्तार को लेकर माननीय सदस्य ने अपनी सहमति व्यक्त की है । मैं माननीय सदस्य को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं ।

मैं मानता हूं **कि** निश्चित रूप से ट्रैफिक बढ़ने के कारण एयर ट्रैफिक के संचालन की व्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ा है । लेकिन इस कारण से जन सुरक्षा से समझौता हो, ऐसी परिस्थिति नहीं है । माननीय सदस्य ने मूल प्रश्न एयर प्रॉक्सिमिटी को लेकर किया था, विश्व में भारत एयर सेफ्टी और एयर मिस की घटनाओं में अंतर्राष्ट्रीय मानक के औसत की अपेक्षा एक तिहाई पर है । यदि हम विश्व के मानक स्तर पर देखें तो इस दृष्टिकोण से ऐसी घटनाओं में, जो निश्चित रूप से हम सबके लिए चिंता का विषय है, हम विश्व की सूची में 11वें नंबर पर हैं । सबसे ज्यादा जहां पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं, वे अमरिका में हुई हैं । सारे विकसित देशों के बाद हम ग्यारहवें पायदान पर हैं । अगर हम बिजी एयरपोर्ट्स के दृष्टिकोण से भी देखें तो पहले दस में हम सातवें स्थान पर हैं, जहां सुरक्षा

मानकों पर किसी तरह की एयर प्रॉक्सिमिटी की घटनाएं दर्ज हुई हैं । मैं माननीय सदस्य और सदन में संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाएं जो रजिस्टर्ड हुई हैं, उनको चार कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है । उनमें जो सर्वाधिक चिंता का विषय है, पिछले तीन वर्ष में ऐसी केवल एक घटना रजिस्टर्ड हुई है, लेकिन, कुल मिलाकर प्रतिवर्ष लगभग 30 से 35 के बीच में इस तरह की जो एयर प्राक्सिमिटी की घटनाएं रजिस्टर्ड होती हैं, उनमें हम हरेक की विस्तृत जांच करवाते हैं और वह घटना भविष्य में न हो, इसके बारे में पूरा संज्ञान लेकर ध्यान दिया जाता है ।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : My first supplementary was whether you are going to add value to air traffic management. That has not been answered. I will put my second supplementary based on what you have just now mentioned, relating to the functioning of DGCA, which looks into routes, fares, flying conditions and acts as the authority for giving licences to airlines and pilots, types of certification of aircraft and overseeing of air safety. On top of it all, Sir, DGCA is also tasked with conducting investigation of accidents or air miss incidents. Is this not a clear clash of interest since DGCA signs up aircrafts maintenance and repairs, oversees the air services, advises Airports Authority of India on safety issues and reports the Minister? How can one reasonably expect it to conduct investigation of accident or near miss incident properly, identify responsibility and also make systematic recommendations which could go against or put pressure on any of its client's organisation? If United States, Canada, Australia, France, United Kingdom and most of the European countries in order to avoid conflict of interest have an independent air safety agency, why are we not creating one? Is it too much to expect, which is certainly feasible and eminently desirable?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पिछले प्रश्न के मेरे उत्तर के प्रत्युत्तर में कहा कि वे संतुष्ट नहीं हैं । मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि यह डायनामिक प्रोसेस है और अपग्रेडेशन एंड सिक्योरिटी मेजर्स तथा सेफ्टी मेजर्स को बढ़ाने के लिए लगातार चलते रहने वाला है । इस दिशा में निश्चित रूप से देश में भी लगातार प्रयास, प्रयत्न और काम हो रहा है । जहां तक इंडिपेंडेंट आर्गेनाइजेशन की बात है, जिस तरह से अमेरिका, कनाडा और फ्रांस के बारे में माननीय सदस्य ने चर्चा की है, भारत में भी इसी तरह का एएआईबी इंडिपेंडेंट आर्गेनाइजेशन है, जो इस तरह के सीरियस एक्सिडेंट्स को, जैसा मैंने कहा कि इसको चार कैटेगरीज में, डिफ्रेंट कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज किया गया है, सारे सीरियस इंसीडेंस पर यह इंडिपेंडेंट आर्गेनाइजेशन ही इस बात का अध्ययन करता है और उनकी रिपोर्ट और संस्तुति के आधार पर आगे के निर्णय किए जाते हैं ।

SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE : The Government has emphasised privatisation of airlines and airports and deregulation of civil aviation in general during the last decade. As a result, India has witnessed 20 per cent growth in air traffic every year. However, there is a critical shortage of well-trained Air Traffic Controllers in the country. The AAIB's investigation report of the near-miss incident between Indigo and KLM in November, 2016 stated that 101 of the 109 radar controllers at Delhi air traffic control did not perform any duty for about a year rendering their tower rating as invalid.

I would like to remind the hon. Minister that in the absence of such well -trained traffic controllers, five near-miss incidents took place in Mumbai, Mangalore, Surat, Kozhikode and Kolkata in three days during the month of July 2019. What steps are being taken by the Ministry to ensure that adequate and well-trained air traffic controllers are deployed at each airport, particularly the Mumbai Airport, to avoid such incidents?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता निश्चित रूप से जायज है, लेकिन मैं माननीय सदस्य और सदन के संज्ञान में लाने के लिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले तीन साल में 1000 से ज्यादा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, जो वेल ट्रेन्ड एण्ड क्वालीफाइड थे, को देश के एयरपोर्ट्स पर बढ़ती हुई आवश्यकताओं के मद्देनजर रिक्रूट किया गया है ।

माननीय अध्यक्ष : श्री राजीव प्रताप रूडी, माननीय सदस्य संक्षेप में पूछिए ।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, बहुत ही साधारण सवाल है और माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया है ।

महोदय, यह एक भ्रान्ति है कि सिर्फ एक ही संस्था एयरमिस के लिए जिम्मेदार है, कई बार एयर ट्रैफिक सर्विसेज से भी चूक हो सकती है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं और कई बार पायलटों से भी चूक हो सकती है और यह नॉन आरबीएसएम स्पेस है, जो टेक-ऑफ और लैण्डिंग के समय ज्यादा मात्रा में होता है ।

महोदय, भारत के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की चर्चा सदन में नहीं होती है । भारत के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स दुनिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के बराबर हैं और कई उनसे भी बेहतर हैं । हमें इस बात की बधाई देनी चाहिए कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की गुणवत्ता के कारण, जिस प्रकार से पूरा सदन मेजें थपथपा रहा है, आज हम सबके जीवन की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है, लेकिन ये ऐसे लोग हैं, जिनके बारे में न सदन में चर्चा होती है, न सरकार में चर्चा होती है । वर्षों से यह मांग की जा रही है कि एयर ट्रैफिक सर्विसेज को एयरपोर्ट अथॉरिटी से बाहर निकाला जाए, ताकि उनकी अपनी स्वायत्ता हो सके और उनकी गुणवत्ता में सुधार हो सके । पहले जब तक एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज नहीं हुए थे, एयरपोर्ट अथॉरिटी की कमाई का बड़ा हिस्सा एयर ट्रैफिक सर्विसेज की कमाई से आता था । मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि वर्षों से एयर ट्रैफिक सर्विसेज की यह मांग है कि उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी से अलग किया जाए ... (व्यवधान) और उनके भी अधिकारी ऊपर के स्तर पर जा सकें, जैसा माननीय

निशिकांत दुबे जी ने भी बोला है, यह एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब आपके शहर कोटा से हवाई जहाज उड़ेगा, तो यही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स उसका नियंत्रण करेंगे और सुरक्षित हमें दिल्ली में उतारेंगे । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि एयर ट्रैफिक सर्विसेज को एयरपोर्ट अथॉरिटी से अलग करके, जो कई रिपोर्ट्स में भी आया है, स्वायत्ता देने का निर्णय सरकार कब करेगी? … (व्यवधान) मैं इसके बारे में सरकार से उत्तर चाहूंगा ।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मुझे लगता है कि पूरे सदन में इस विषय के बारे में सबसे ज्यादा अनुभव यदि किसी का है तो वह माननीय सदस्य का है । उन्होंने मंत्री के नाते भी और टेक्नीकली एक कॉमर्शियल पायलट के नाते भी लगातार बहुत वर्षों तक देश की सेवा की है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं । अभी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को डीजीसीए सर्टिफाई करता है, लेकिन माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, निश्चित रूप से उस पर आगे गंभीरता से विचार किया जाना आवश्यक है ।

(Q.142)

SHRI VINCENT H. PALA : According to the National Statistical Office's latest survey on 'Drinking Water, Sanitation, Hygiene and Housing Condition in India' -- which was released last week -- about 29 per cent of rural households and about four per cent of urban households do not have access to toilets. Not only does this contradict the data of Swachch Bharat Mission, which stated that 95 per cent households have toilets in the period corresponding to the NSO survey, but also the findings of the National Annual Rural Sanitation Survey (NARSS), which stated that 93.1 per cent of Indian rural households have access to toilets in the corresponding period.

May I know from the hon. Minister what are the reasons for the discrepancies and which one is correct?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अत्यंत ही रोचक प्रश्न किया है । मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि देश के 699 जिले, जिनमें स्वच्छता का यह कार्यक्रम देश की सरकार ने माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में लिया था । इसको एक अभूतपूर्व सफलता के साथ रखते हुए, पूरे विश्व के सामने एक कीर्तिमान प्रस्तुत किया गया है । जहां तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन्स ने जो समय-सीमा वर्ष 2030 तक तय की थी, यह हम सबके लिए गर्व का विषय है कि उसे भारत ने वर्ष 2019 तक पूरा किया है । इस लक्ष्य को पूरा करके निश्चित रूप से हम सभी भारतीयों का, चाहे हम किसी भी राजनीतिक प्रतिबद्धता से आते हों, सम्मान विश्व भर में बढ़ा है । 100 करोड़ लोग, जो खुले में शौच के लिए अभिशप्त थे, उनमें से 60 करोड़ लोगों को शौचालय की सुविधा दिलाई गई है ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 699 जिलों ने, ऐसे जिले सभी राज्यों में उपस्थित हैं जहां हम सभी बैठे हुए लोगों में से किसी न किसी राजनीतिक प्रतिबद्धता की सरकार होगी, उन सब जिलों ने सेल्फ-सर्टिफाई करके इस तरह के सर्टिफिकेट्स इश्यू किए हैं कि उनके जिले ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर हो गए हैं । जहां तक डिसक्रिपेंसी का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि रिस्पाँडेंट बायस सर्वे मैकेनिज्म में होता है । जो सर्वे की साइंस है, वह कहती है कि डेटा कलेक्शन और डेटा प्रोसेसिंग के समय कई बार इस तरह की चूक होना स्वाभाविक है, इस तरह के गैप्स आना स्वाभाविक है और पूरे विश्व भर में इस बात को सर्वे साइंस के साइंटिस्ट्स ने कहा है । यदि सदस्य चाहेंगे, आप अनुमति देंगे और समय की उपलब्धता होगी तो मैं विस्तार से इस बारे में बता सकता हूं कि रिस्पाँडेंट बायस के कारण किस तरह से ऐसे गैप्स आते हैं । इंटरनेशनली भी सर्वे साइंस के वैज्ञानिकों ने और अध्येताओं ने इस बात को प्रतिपादित किया है कि इस तरह के लाभ से जुड़े विषयों में यदि प्रश्न किया जाता

है तो 40 प्रतिशत तक रिस्पॉंडेंट बायस आने की संभावना है । हमारे देश में सर्वे साइंस के विद्यार्थियों ने इस बायस को 50 प्रतिशत तक आंका है, लेकिन हमारे जिलों में, हमारी सरकारों ने इस बात को प्रस्तुत किया है और यह एक डायनमिक प्रोसेस है । जहां तक शौचालयों के निर्माण और उनको उपलब्ध कराने का प्रश्न है, जिलों ने और प्रदेश की सरकारों ने जो सर्टिफाई किया है, उसके आधार पर मैंने डेटा दिया है, लेकिन हमने एक डिक्लेरेशन के बाद भी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि जो लेफ्ट ओवर आफ्टर द बेसलाइन हैं, उनको भी शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाए । हमने उनको खुली छूट दी है । मैं इस सन्दर्भ में, यहां खड़े होकर बिहार सरकार और पंजाब सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अखबार में एडवर्टीजमेंट्स दिए हैं कि यदि कोई भी पीछे रह गया हो तो वह आकर प्रतिवेदन करे, हम उसे शौचालय की सुविधा देंगे । हमने उस दिशा में आगे काम किया है । मैं, सदन के माध्यम से अन्य राज्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि जहां कहीं भी, जो कोई भी पीछे रह गया है, वे उसे इस तरह की सुविधा प्रदान करने के लिए काम करें । भारत की सरकार, माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हाथ पकड़कर इस तरह की सुविधा, हैण्डहोल्डिंग करके देने के लिए तैयार है ।

SHRI VINCENT H. PALA : In a reply given in the Rajya Sabha on 18th November, the Government stated that out of 5.99 lakh villages, the second round of verification on Open Defecation Free status was done only in 1.54 lakh villages. By when does the Government aim to complete the second round verification of all the villages? What will happen to the case where a village fails to meet the requirements in the second verification even if it has met them in the first verification?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि वर्ष 2018 के जिस सर्वेक्षण की उन्होंने बात की है, उसके बाद में स्वच्छता का एक ब्रॉडर सर्वेक्षण अभी 2019 में पूरा किया गया है, जिसमें हमने विभिन्न तकनीकों के माध्यम से, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग

उससे जुड़ सकें, सहभागिता कर सकें, ऐसा अवसर प्रदान किया था । तीन करोड़ से ज्यादा लोगों ने ऐसे ब्रॉडर सर्वे में अपनी सहभागिता दर्ज की थी । यह एक डायनमिक प्रोसेस है और लगातार इस तरह के सर्वे होते रहते हैं । माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, उसने यह सुनिश्चित किया है कि आने वाले समय में जो व्यक्ति इसमें नए जुड़ते हैं, हमने अनुमान किया है कि प्रतिवर्ष ऐसी आवश्यकता होगी कि करीब 30 लाख से ज्यादा नए शौचालयों का निर्माण करना पड़े और हम इस काम के लिए भी प्रतिबद्ध हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभारी हूं क्योंकि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है । पूरे देश में हमारी सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है कि हम खुले शौच से देश को मुक्त कराएं । उन्होंने देश के राज्यों का उल्लेख भी किया है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ओडीएफ इन राज्य घोषित हुए हैं, वे वर्ष 2012 की बेसलाइन पर घोषित हुए हैं । उसके बाद, आप जो पुन: सर्वेक्षण की बात कह रहे हैं, उसमें हमारे उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थ नगर जनपद भी हो । हमारे जनपद से लगभग एक लाख का प्रस्ताव राज्य के माध्यम से भारत सरकार के पास आया है और उत्तर प्रदेश का एक क्यूमुलेटिव प्रस्ताव काफी बड़ी संख्या में आया है, वे प्रस्ताव कब तक स्वीकृत हो जाएंगे और वह पैसा कब तक राज्य को निर्गत हो जाएगा?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मूल प्रश्न के उत्तर में भी कहा था कि left behind base line survey के शौचालयों के निर्माण के लिए आगे आकर हमने राज्यों को लिखा है । जहां तक उत्तर प्रदेश के बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, देशभर में एक करोड़ दस लाख ऐसे left behind नए शौचालय बनाने के प्रस्ताव स्वीकृत किए थे । उनमें से 85 लाख शौचालय ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं । उत्तर प्रदेश की सरकार को भी हमने पुन: पत्र लिखकर कहा है । माननीय सदस्य ने left behind base line survey की बात कही है । मैं उससे भी आगे बढ़कर कहना चाहता हूं कि कोई भी पीछे न रहे, इस दृष्टिकोण से राज्य सरकारें अपने यहां सुनिश्चित करें कि वे जो भी प्रतिवेदन भेजेंगी, वे सारे प्रतिवेदन यथाशीघ्र स्वीकृत करके इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं ।

(Q. 143)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI : Sir, in the written reply of the Question, it is mentioned that the implementation of the projects would be started after the DPR is prepared. I would like to know about the approximate timeframe they are looking at and when these projects would be completed.

I would also like to ask one more question. After the Cyclone Gaza in Tamil Nadu, around Rs.25,000 crore worth of damages were suffered by the people. But the Central Government has sanctioned or released only Rs. 1,046 crore. So, when would the rest of the money be released? Thank you.

श्री रतन लाल कटारिया : अध्यक्ष महोदय, नेशनल डेवलपमेंट वॉटर एजेंसी ने 137 बेसिन और सबबेसिन, 71 डायवर्सन्स के प्वॉइंट, 74 रिजर्वायर और 37 लिंक एलाइनमेंट्स इंटर लिंकिंग के लिए चिह्नित की थीं । जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था कि नदियों को आपस में जोड़ा जाए । उसके लिए नेशनल वॉटर डेवलपमेंट एजेंसी ने स्टडी की और उसके लिए ये प्वॉइंट्स चिह्नित किए गए थे । उसके बाद 30 लिंक्स को हमने छांटा कि यहां पर यह कार्य हो सकता है । उसके बाद भी हमने 14 पेनिनसुलर कम्पोनेंट लिंक को आइडेंटीफाई किया और दो हिमालयन एरिया डेवलपमेंट के रीवर्स के अंतर्गत आईडेंटीफाई किये । 30 प्रोजेक्ट्स में से चार प्रोजेक्ट्स की डीपीआर तैयार हो चुकी है और कई प्रोजेक्ट्स में फर्स्ट फेज और सैकेंड फेज का कार्य शुरू हो चुका है । चूंकि वॉटर स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए राज्यों की मंजूरी भी आवश्यक है । दूसरे विभागों से भी मंजूरी लेनी पड़ती है जैसे पर्यावरण विभाग है ।

माननीय अध्यक्ष : आपने कह ही दिया है कि राज्यों की मंजूरी लेनी पड़ती है ।

प्रो. सौगत राय : महोदय, कटारिया जी को पहली बार उत्तर देने के लिए मुबारकबाद देनी चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष : अभी बहुत लोग पहली बार बोलेंगे ।

श्री गणेश सिंह : महोदय, नदियों को परस्पर जोड़ने का विचार सबसे पहले देश में पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, लेकिन दस वर्षों तक यूपीए की सरकार थी । उस प्रोजेक्ट को एक कदम भी आगे बढ़ाने का काम नहीं हुआ था ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप आरोप मत लगाएं, आप केवल प्रश्न पूछें ।

श्री गणेश सिंह : महोदय, मैं देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने परस्पर नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने का काम किया । इसके तहत जो 14 परियोजनाएं हैं, उनमें से हमारे मध्य प्रदेश की दो परियोजनाएं हैं – केन-बेतवा नदी और पार्वती-कालीसिंध चम्बल । ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीन राज्यों से जुड़ा हुआ विषय है और मैं जानना चाहता हूं कि साध्यता रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन इनका काम कब तक शुरू हो पाएगा और इसमें कितना खर्च आने वाला है?

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत): अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे गंभीर विषय पर प्रश्न किया और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस विषय में जो गंभीर प्रयास रहे हैं, उनका उल्लेख भी किया है । जिन लिंक्स की चर्चा मेरे सहयोगी राज्य मंत्री ने की है, उन लिंक्स को आईडेंटीफाई करना, उनकी डिटेल रिपोर्ट बनाना और उसके बाद जो संवैधानिक स्वीकृतियां हैं, चाहे वे वाइल्ड लाइफ विभाग से लेनी हो, फारेस्ट विभाग से लेनी हो या एनवायरमेंट क्लीयरेंस लेनी हों, ये क्लीयरेंसेज लेनी होती हैं । इसके अतिरिक्त सबसे आवश्यक विषय राज्यों की मंजूरी का है । चूंकि पानी राज्यों का विषय है और राज्य अपनी सहमति व्यक्त करें तथा साथ आएं ।

पानी राज्यों का विषय होने की वजह से ऐसा किए बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता है । माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि उ**न्होंने** जिन दो लिंक्स का उल्लेख किया है और अपने मूल प्रश्न में कनिमोझी जी ने प्रश्न किया था, उसमें भी उन्होंने जिस बात का उल्लेख किया था, उसके बारे में कहना चाहता हूं कि अल्टीमेटली डीपीआर बनने के बाद भी यदि राज्य साथ में बैठकर सहमति नहीं देंगे, तो कठिनाई होती है । जिन लिंक्स का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है, उनके लिए जल बंटवारे को लेकर अभी पूर्ण सहमति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच नहीं बनी है । जिस दिन सहमति बनेगी, उस दिन निश्चित रूप से हम इसमें काम प्रारम्भ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ।

अध्यक्ष जी, मैं सदन की जानकारी के लिए आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश के लगभग 18 प्रतिशत भूभाग में हर साल बाढ़ आती है । 13 प्रतिशत भूभाग में हर साल सूखा पड़ता है । इस समस्या का स्थायी समाधान इस दिशा से ही प्राप्त किया जा सकता है । मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सब भी अपने-अपने राज्यों में जिस किसी भी राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां अपनी सरकारों से आग्रह करें कि हम सब मिलकर किस तरह से खुले दिल से साथ में बैठकर इस विषय में सहमति बना सकते हैं । यदि ऐसा प्रयास सभी लोग करेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में देश हम सबको साधुवाद भी देगा और ऋणी भी रहेगा ।

माननीय अध्यक्ष : मेरा कहना है कि यह विषय गंभीर है । आप लिख कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा हो जाए । इस विषय पर बोलने के लिए सदस्यों के नामों की मेरे पास लम्बी लिस्ट है । प्रश्न काल में दूसरे विषय के प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं और बहुत लम्बी लिस्ट है ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रमा देवी जी, आप बैठ जाएं । आपकी बात रेकार्ड में नहीं जा रही है ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री सुरेश कोडिकुन्नील ।

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Sir, regarding inter-linking of rivers, Pamba – Achankovil – Vaippar link, the hon. Minister has given a reply that the Feasibility Report is completed. So, I would like to know from the hon. Minister, through you, whether before completing the Feasibility Report, whether they have discussed it with the State Government of Kerala and the State Government of Tamil Nadu. Sir, Pamba and Achankovil rivers flow through my parliamentary constituency. If these rivers are linked with Vaippar river, then the farmers will suffer. Also, our people will not get sufficient drinking water.

So, I would like to request the hon. Minister, through you, that before taking a final decision, they have to take into confidence the Government of Kerala and the people of Kerala. Thank you, Sir.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष जी, मैंने भी कहा था कि राज्यों की सहमति इसमें प्राथमिक आवश्यकता है । मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि फिजिबिल्टी रिपोर्ट बनाने से पहले दोनों राज्यों ने इसके लिए सहमति व्यक्त की थी ।

(Q. 144)

श्री सुनील कुमार पिंटू : अध्यक्ष जी, प्रश्न का जवाब विस्तार से प्राप्त हुआ है, परन्तु मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चंद सवालात जानना चाहता हूं । माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट स्किल डेवलपमेंट है । लघु और कुटीर उद्योग के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट करने की कोशिश की गई है । आज यहां बैठे सभी माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि जिन लोगों का स्किल डेवलपमेंट हुआ है, उन्हें बैंकों के असहयोग के कारण एक पैसे का भी ऋण नहीं मिलता है । यदि ऋण मिलता भी है, तो केवल उन्हीं लोगों को जिनके बीच में बिचौलिए होते हैं । स्किल डेवलपमेंट के बाद उनके स्वरोजगार की व्यवस्था के लिए सरकार के स्तर पर कोई ठोस प्रोग्राम देखने को नहीं मिला है ।

महोदय, इसी के साथ मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि बिहार में जितने भी लोगों का स्किल डेवलपमेंट हुआ है उन्हें ब्लॉक लेवल पर रोजगार मिल सके या उन्हें बैंकों के माध्यम से ऋण मिल सके या वे अपने पैरों पर खड़ा हो सकें, ऐसा प्रश्न के जवाब में कहीं जिक्र नहीं है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश में बढ़ रही बेरोजगारी को खत्म करने के लिए जो स्किल डेवलपमेंट का काम हुआ है, उसके तहत लोगों को रोजगार या व्यापार करने में किस प्रकार का सहयोग करने का सरकार विचार रखती है?

श्री नितिन जयराम गडकरी : माननीय अध्यक्ष जी, देश के ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या काफी बड़े पैमाने पर है, जिसका सामना हम सब लोग कर रहे हैं । माननीय सदस्य ने जो भावना व्यक्त की है, वह भी बिल्कुल सही है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसरों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए । रोजगार निर्माण करने के लिए स्किल डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है । स्किल डेवलपमेंट की जो ट्रेनिंग मिलती है, उसके लिए सरकार ने एक अलग विभाग स्किल डेवलपमेंट बनाया है । डॉ.महेन्द्र नाथ पाण्डेय जी उसके मंत्री हैं और उन्होंने स्किल डेवलपमेंट की अनेक प्रकार की ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए अनेक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता दी है । अब उसमें उनकी अनेक योजनाएं हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह करते समय सरकार ने जो योजना बनाई है, उसमें विशेष रूप से सरकार की स्फूर्ति योजना है । जो उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री का प्रश्न पूछा है, तो कॉटेज

इंडस्ट्री करके कोई परिभाषा नहीं है । मैं समझता हूं कि कॉटेज इंडस्ट्री यानी विलेज इंडस्ट्री । इसका टर्न-ओवर 84000 करोड़ हम लोग इस साल एक्सपैक्ट कर रहे हैं । हमारा प्रयास है कि जो खादी ग्रामोद्योग है, कुम्हार है, लोहार है, हमारे जूते बनाने की जो इंडस्ट्री है, उसमें छोटे-छोटे बहुत व्यापारी लोग काम करते हैं, जो जूते बनाने की ट्रेनिंग देने का काम करता है, उसके लिए क्यू लगी हुई है क्योंकि उसकी इतनी ज्यादा डिमांड है ।

एक तरफ अभी हमने यह तय किया है कि जो इंडस्ट्री विशेष रूप से शुरू होगी, वही स्किल ट्रेनिंग देने का काम करेगी । प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलेगी और स्किल भी मिलेगी । रूरल सैक्टर में यह संभव नहीं है क्योंकि वहां इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है । पर इसमें जैसे आपको विदित होगा कि जो कुम्हार हैं, वे कुल्हड़ बनाते हैं । हमारी सरकार ने एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया । मैंने रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से रिक्वैस्ट की थी और खादी ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष मेरे पास आए, मैंने यह रिक्वैस्ट उनसे की कि रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक और पेपर ग्लासेज के बजाए कुल्हड़ को मेनडेट्री किया जाए । आज 400 रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ को मेनडेट्री कर दिया गया है । इसका उपयोग यह हुआ है कि करीब-करीब 74000 ऐसे यूनिट्स छोटे-छोटे कुम्हारों के हैं ।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : कोई नई बात कीजिए । पुरानी बात है ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी को जवाब देने दीजिए ।

श्री नितिन जयराम गडकरी : इसको और बड़े पैमाने पर जनरेट कर रहे हैं । जो नई बात करने की बात हमारे सम्माननीय मित्र पूछ रहे हैं, मैं आपको बताता हूं कि पुराने काल में चाइना से अगरबत्ती आती थी और लोगों का रोजगार छीना गया था । हमारे यहां अगरबत्ती इंडस्ट्री है । तमिलनाडु के सदस्य यहां बैठे हुए हैं । ये आपको बताएंगे । मुझे कभी-कभी आश्चर्य होता है कि आइसक्रीम खाने का चम्मच भी चाइना से आ रहा था ।...(व्यवधान) इसलिए मैंने मजाक में कहा कि हमारे देश में क्या चमचों की भी कमी है? ...(व्यवधान) सम्माननीय सदस्य जी, अभी हमने चाइना से आए हुए सभी बैम्बू प्रोडक्ट्स पर 30 प्रतिशत ड्यूटी लगा दी है । इसके कारण अब करीब 25 लाख महिलाओं और पुरुषों को रोजगार

मिला है । 4000 करोड़ रुपये का इम्पोर्ट रुकेगा और यह पूरा काम लोगों को मिलेगा ।...(व्यवधान) हमारे देश की चमड़े की इंडस्ट्री 1,45000 करोड़ की है । इसमें 85000 करोड़ रुपए का डोमैस्टिक यूज है और करीब 45 से 50000 करोड़ एक्सपोर्ट है । इसलिए इसी इंडस्ट्री के कार्यक्रम में मैं गया था और यह बड़े पैमाने पर कारीगरों को काम देती है ।

अभी हमने तय किया है कि जो चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं, ज्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए कौन सी तकनीक, इनोवेशन, नयी मशीनें लानी चाहिए । इसकी ट्रेनिंग देने की हम योजना बना रहे हैं और उसको टैक्स एग्जेम्पशन कैसे दे सकते हैं ताकि एक्सपोर्ट बढ़े और नये रोजगार का निर्माण हो ।

दूसरी ओर हमने इसके साथ-साथ यह अध्ययन शुरु किया है, कॉमर्स सैक्रेटरी और हमारे दोनों संयुक्त सचिव, कमेटी अध्ययन का आज ही मेरे यहां प्रेजेंटेशन है कि हमारा जो इम्पोर्ट हो रहा है, उसको हम कैसे कम करें? इम्पोर्ट सब्सिट्यूट इकोनॉमी और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी । दोनों से एम्पलॉयमेंट पोटेंशियल यानी रोजगार की क्षमता बढ़ेगी । अब आप नई चीज के लिए कह रहे हैं । मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूं कि जैसे हनी है, हमने हनी का बजट अभी दस गुना बढ़ा दिया है । जो मैसूर का संस्थान है, बड़े-बड़े होटलों में चाय में छोटे से कागज के बैग में शुगर होती है, वह चाय में डालते हैं । सांचे में डालकर शुगर को हम कॉफी में डालते हैं । अभी हमने एक नया प्रयोग किया, आने वाले दो-तीन महीने में खादी ग्रामोद्योग को लांच करने जा रहे हैं कि हनी का क्यूब बनाएंगे । ...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : हनी नहीं, मनी चाहिए । हनी के बदले मनी चाहिए ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी जवाब देने में सक्षम हैं । जवाब देने के लिए मैंने आपको नहीं कहा है । माननीय सदस्य, मंत्री जी उनको जवाब देने में सक्षम हैं । आप मत बोलिए ।

...(व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी : माननीय अध्यक्ष जी, वह सही कह रहे हैं । हनी से मनी आने वाली है क्योंकि हनी के अभी जो क्लस्टर्स बन रहे हैं, जो हाइ ऑल्टीट्यूड का हनी है, जम्मू-कश्मीर, अरुणांचल और उत्तराखंड में है, उसकी कीमत एमेजॉन की साइट पर 7000 रु.किलो है और अभी हम लोग हनी का उत्पादन दस गुना बढ़ा रहे हैं । वह पेटियां बांट रहे हैं, उसका हर जिले में क्लस्टर बना रहे हैं, जो अरुणांचल, त्रिपुरा, मेघालय, बिहार और यू.पी. में है और इसका कृषि क्षेत्र में फायदा होगा । हर जिले में प्रोसैसिंग प्लांट होगा और उससे हनी के क्यूब बनेंगे । मैं आपको अगले 6 महीने के बाद आप अपने ऑफिस में भी शक्कर यूज नहीं करेंगे, एक हनी का क्यूब चाय में डालकर चाय पिएंगे । ... (व्यवधान) हनी का यूज दस गुना बढ़ेगा तो ट्राईबल्स और किसानों को कितना रोजगार मिलेगा । जितना ज्यादा हनी कलैक्ट होगा तो उतना उसी से मनी मिलेगा । ...(व्यवधान)

मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास देना चाहता हूं कि हमारा पूरा फोकस अर्बन एरिया के उद्योगों पर नहीं है । हमारा पूरा फोकस ग्रामीण, कृषि और ट्राईबल क्षेत्र पर है । अगर ज्यादा से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट होगा तो वहां से होगा । जो शहर की तरफ माइग्रेशन हो रहा है, उसको हम रोकेंगे । इतना ही नहीं, जो लोग शहरों में आए हुए हैं, वे लोग वापस अपने गांव की तरफ जाएंगे । हमने ऐसी नीति बनाई है । खादी ग्रामोद्योग का टर्न-ओवर बहुत बड़ा है । अभी विलेज और कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं । रूरल, ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में फूड एवं फ्रूट प्रोसैसिंग, ऑइल और जिस-जिस इंडस्ट्री का संबंध है, उसको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में बंद पड़े हुए उद्योगों को फिर से सुधारने की योजना बना रहे हैं । ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में स्किल के साथ ज्यादा से ज्यादा उद्योग का निर्माण हो, जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था; "We need maximum production with the involvement of maximum number of people." इसी के आधार पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में निर्माण करने के लिए विभाग की ओर से फोकस किया जाएगा । आप जो अपेक्षा व्यक्त कर रहे हैं, उसको प्राथमिकता दी जाएगी । बिहार में भी इसके ऊपर प्रायोरिटी देकर हम काम कर रहे हैं ।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सोनिया गांधी जी, क्या आप कुछ पूछना चाहती हैं?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं?

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि कल आपने 20 प्रश्न करके रिकार्ड बना दिया । सर, आज भी हमें एक मौका देना चाहिए । अगर मंत्री जी खुद कहेंगे तो हम कब कहेंगे? …(व्यवधान) सर, आप रिकार्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका रिकार्ड तोड़ने की नहीं हमारी बनाने की कोशिश है । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बिना विषय के 15 मिनट खराब किये प्रश्नकाल में ।

…(व्यवधान)

श्री रोड़मल नागर : माननीय अध्यक्ष जी, एक समय था कि देश के लगभग हर गांव में, हर घर में कोई न कोई लघु कुटीर उद्योग था । इस स्थिति में आज कमी आई है ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसका तो उन्होंने विस्तृत जवाब दे दिया है ।

श्री रोड़मल नागर : क्या सरकार सूक्ष्म उद्योग और लघु उद्योग का वैश्विक स्तर पर निर्माण करेगी? जो निर्माण कर रहे हैं, उस उत्पाद का बाजार में ऑनलाइन फ्लिप कार्ड है, एमेजॉन है, इस तरह से उसका विक्रय भी हो सके, क्या इसके लिए सरकार की कोई योजना है?

श्री नितिन जयराम गडकरी : माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है । चाइना की जो प्रगति हुई है, अलीबाबा के कारण हुई है । एमेजॉन के कारण कितनी ज्यादा उसकी सेल है, कितना बड़ा वॉल्यूम है । पहली बार हमारी सरकार आने के बाद और इस विभाग में माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोग 'एक भारत' क्राफ्ट करके नया पोर्टल तैयार कर रहे हैं । मेरी 5 तारीख को

स्टेट बैंक के चेयरमैन साहब से मुलाकात होगी । हम यह कोशिश कर रहे हैं कि अगर यह संभव हुआ तो स्टेट बैंक और हम मिल कर यह पोर्टल चलाएं । इसमें एमएसएमई के सभी प्रोडक्ट्स रहेंगे । न्यूयार्क में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति कश्मीर में बनी हुई अच्छी शाल को वहां से खरीद सकेगा, हम इस प्रकार की ई-कॉमर्स का पोर्टल 'भारत क्राफ्ट' के नाम से तैयार कर रहे हैं ।

उन्होंने दूसरी बात bank of ideas, innovation and research के बारे में कही है । इसके बारे में हम लोग एक वेबसाइट खोल रहे हैं और इसके द्वारा जो भी अच्छे नये इनोवेशंस हैं, उनको ला रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं । कल मैं मानेसर में गया था । हमारे लोगों ने हाइड्रोजन से चलने वाली कार तैयार की है । वे हाइड्रोजन फ्यूल सेल से आगे चले गए । वे छोटे-छोटे लड़के हैं, इंजीनियरिंग आईआईटी के ग्रैजुएट्स हैं, उनका स्टार्ट-अप है । वे बहुत रिसर्च कर रहे हैं, माहौल बहुत बदल गया है । हम जिसको नॉलेज कहते हैं, that is, innovation, entrepreneurship, science, technology, research and skill, we are going to convert that knowledge into wealth and also convert waste into wealth.

मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी प्रकार का काम हो रहा है । आज देश में 29 प्रतिशत ग्रोथ एमएसएमई के कारण है, हम इसको पांच सालों में 50 प्रतिशत से ज्यादा लेकर जाएंगे । अभी तक 11 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुए हैं, हम कम से कम पांच करोड़ नए जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य रख कर काम कर रहे हैं । हमारे एक्सपोर्ट में 49 प्रतिशत एक्सपोर्ट एमएसएमई का है, हम उसको 60 प्रतिशत तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं । इसके लिए पूरा पैसा भी दे रहे हैं, लोन भी दे रहे हैं, इंश्योरेंस करके विदाउट कोलैटरल ज्यादा लोन कैसे मिले, उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं । निश्चित रूप से इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे ।

(Q.145)

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU : Sir, the hon. Minister is on record saying that this pay-and-carry system will change the power sector and make it viable. The hon. Minister is aware of the constraints and concerns expressed by almost all DISCOMs of all the States.

In pursuance of these concerns, the Ministry exactly one month after the decision, that is, 24 July, 2019, agreed to ease norms of payments by DISCOMs. But it was only temporary and in September this year itself, a panel of Central Electricity Authority recommended again that 50 per cent should be paid in advance. There is a lot of confusion on this issue. ....*(Interruptions)*

I would like to know from the hon. Minster whether the Government of India will withdraw that July order or not.

SHRI R.K. SINGH: Hon. Speaker, Sir, there is no question of withdrawing the order. The hon. Member in his question has stated that we have changed the system from a post-paid system to a pre-paid one. That is not correct. Electricity bills of power generators are still paid 45 to 60 days after the supply. Therefore, it still remains post-paid. The payment to power generating companies is supposed to be received 45 to 60 days after the supply. The position remains the same.

Sir, what we have done is that we have only made it compulsory to comply with the conditions of the contract under which the power is supplied. Power is supplied under the Power Purchase Agreement. These Power Purchase Agreements have a provision that there will be a payment security mechanism in the form of Letter of Credit, which is

signed by both parties. It is a solemn contract. The law says, in Section 28, that power will be dispatched only in accordance with the terms of the contract. All we are doing is implementing the law. Payment is still supposed to come 45 to 60 days after the supply has been done.

Hon. Speaker, Sir, through you, I want to inform the House that today as on date the outstanding dues of power generation companies have gone up to Rs.85,000 crore and the overdues have gone up to near about Rs.65,000 crore. This is not a sustainable situation. We need to correct this and making sure that the contracts are followed is an attempt in that direction.

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: Sir, producing power is one aspect and facilitating production of power is the other important aspect. The point that I am trying to drive at is that the thermal power plants in Andhra Pradesh are not even producing 50 per cent of their capacity. Due to this, the hon. Chief Minister of Andhra Pradesh, Jaganmohan Reddy Garu is finding it extremely difficult to supply uninterrupted power even for nine hours to farming community. It is happening due to non-availability of coal.

Sir, even though it is not directly related to the hon. Power Minster, I would request and ask him how he will persuade the Coal Ministry to allocate coal blocks to the State thermal power generating companies, particularly in Andhra Pradesh, which has not been given any coal blocks after bifurcation. I would also like to know whether any consultation with the Minister of Coal has been held in this regard. If so, details of the same may kindly be provided. Thank you.

SHRI R.K. SINGH: The generating companies have to pay for coal in advance. That is also part of the contractual agreement between the coal

companies and the generating companies. That is also the mandate of the Ministry of Coal. We are vitally concerned because coal is required for production of power. But the money for coal has to be pre-paid.

The situation in Andhra Pradesh is that their distribution company made a loss of Rs. 1,500 crore during 2018-19. Their outstanding payments to generating companies is over Rs. 3,000 crore. One of the reasons for the loss is that, against a subsidy bill of Rs. 6,000 crore which the State Government should have paid to the discom, the State Government has paid only Rs. 5,000 crore. That is obviously Rs. 1,000 crore less. So, basically the State Government has to get serious about the power infrastructure. As we all know, power structure is a vital infrastructure. That is what my message is.

(Q. 146)

PROF. ACHYUTANANDA SAMANTA : Hon. Minister, in his reply, has explained the details very nicely. But still, through you, I want to know from the hon. Minister whether the Government has any further plans to strengthen the street vending eco system through provision of line of credit, micro loans, better infrastructure, access to social and health security and other similar measures.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मूल रूप से वह प्रश्न राज्य से जुड़े हुए विषय से संबंधित है । संसद ने वर्ष 2014 में एक्ट पारित किया था और वह राज्यों को भेजा गया था । मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि जम्मू-कश्मीर में यह लागू नहीं था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत हम ने

मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लिखा है कि यह लागू हो जाए । जम्मू-कश्मीर में यह लागू होने के बाद देश के प्रत्येक राज्य ने यह एक्ट एडाप्ट कर लिया है ।

माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि इससे आगे बढ़ कर फेरीवाले, रेहड़ीवाले, छोटे-छोटे व्यवसायी और अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों को लाइन ऑफ क्रेडिट मिले, उनको इन्श्योरैंस मिले या स्वास्थ्य की सुरक्षा मिले, इस दिशा में सरकार क्या करना चाहती है? मैं अत्यंत गर्व के साथ, सम्मान के साथ आपके माध्यम से माननीय सदस्य और देश को बताना चाहता हूं कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने सभी छोटे-छोटे उद्यमियों के कल्याण के लिए, अपने पिछले काल खंड में 'मुद्रा योजना' प्रारंभ की थी, जिसमें 50 हजार रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन, ऐसे सारे छोटे-छोटे व्यवसायियों और व्यापारियों को मिल सकता है और देश में करोड़ों छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों ने इसका लाभ उठाया है । जहां तक उनकी सोशल सिक्योरिटी का प्रश्न है तो अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने उनके लिए न केवल पेंशन की स्कीम अपितु उनके लिए मात्र एक रुपये में इन्श्योरेंस कवरेज की स्कीम भी लाँच की है । जहां तक स्वास्थ्य बीमा का प्रश्न है, ऐसे सारे गरीब और मध्यमवर्गीय लोगों के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम 'आयुष्मान योजना' के माध्यम से प्रारंभ किया गया है । अगर इस दिशा में राज्य सरकारें आगे बढ़ कर लोगों के लिए कुछ करना चाहें तो निश्चित रूप से केन्द्र सरकार और देश के प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्नता होगी ।

(Q. 147)

श्री गोपाल शेट्टी : अध्यक्ष जी, समय की मर्यादा को देखते हुए, मैं अपनी बात संक्षेप में रखूंगा । क्या सरकार स्पोर्ट्स से जुड़े हुए बच्चों को स्कूल में और जॉब ऑपर्चुनिटी में प्रायरिटी देने के बारे में कुछ सोच-विचार कर रही है?

अध्यक्ष महोदय, मैं अभी दूसरा सवाल भी पूछ लेता हूं कि कांदिवली में जो 'साई', स्पोर्टस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया है, उसको मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्पोर्ट्स एकेडमी बनाने की मांग की है, वह कितने दिनों में पूरा करेंगे?

श्री किरेन रिजीजू : सर, उन्होंने जो दूसरा सवाल किया है, अगर उसके बारे में महाराष्ट्र सरकार प्रपोजल भेजेगी, तो हम कंसीडर कर सकते हैं । हम ने माननीय सदस्य से भी चर्चा की थी और अगर उसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से रखा जाए तो हम सभी के लिए खुशी की बात होगी, लेकिन प्रपोजल आएगा तो हम कंसीडर करेंगे ।

हम ने स्कूल के बारे में, फिटनेस और स्पोर्ट्स को लेकर एक नया मूवमेंट चलाया है । प्रधान मंत्री जी ने जो फिट इंडिया मूवमेंट चलाया है, वह आज एक बड़ा जन आंदोलन बन चुका है । मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि स्पीकर साहब ने भी पार्लियमेंट में 'फिट इंडिया मूवमेंट' को लाँच किया, सभी माननीय सदस्यों को दौड़ाया । स्पीकर फिट हैं, प्रधान मंत्री जी फिट हैं, पार्लियमेंट फिट है, तो देश भी फिट होगा ।

12.00 hrs

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप कुछ भी बोल रहे हैं, वह रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है ।

...(व्यवधान) *